between Bangla Desh and India so far as the territorial waters question is concerned and so far as the Continental shelf question is concerned?

PROF. D, P. CHATTOPADHYAYA: I don't know whether it pertains to it because this question refers to trade matters. But I may say that I am not quite sure of the details, this is under negotiation between the two countries.

Special Bonus Gratuity Scheme

*268. SHRI SHARAD YADAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a Member of Parliament has in a communication dated 16th June, 1974 referred to the schemes adopted by several nationalised General Insurance Companies regarding special Bouns Gratuity Scheme;

(b) if so, the names of the Companies which have adopted this Scheme; and

(c) the names of the persons involved in the formulation and execution of the Scheme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Scheme was in force in the New India Assurance Co. Ltd., when it was in the private sector. It was discontinued from 1-1-73, the date on which the ownership of the Company vested in the General Insurance Corporation of India.

श्री शरद यादव : राष्ट्रीयकरण के बाद क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी के अधिकारियों ने इस योजना को चालू रखने के लिये कोई सुझाव दिया था ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मुझे ठीक तरह से तो मालूम नहीं है लेकिन जहां तक मेरा खयाल है हमारे एक माननीय सदस्य ने इसी सदन में इसकी ओर सरकार का ध्यान भी आकर्षित करवाया था और उसके बाद तहकीकात की गई थी और यह समाप्त कर दी गई थी ।

श्री शरद यादव : क्या और किसी राष्ट्रीयकृत कम्पनी ने भी ऐसा कोई सुझाव दिया है कि इस योजना को चालू किया जाये ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : और किसी ने नहीं दिया है ।

श्री शरद यादव : यह एक अच्छी योजना है । क्या इस को फिर से चालू करने का आपका इरादा है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जी नहीं । इस प्रकार का इरादा नहीं है ।

श्री राम रतन शर्मा : विशिष्ट बोनस उपादान योजना के सेलिएंट फीचर्स क्या थे, और इसमे क्या खराबियां थी जिनकी वजह से इस योजना को बन्द कर दिया गया ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : निजी क्षेत्र मे यह योजना बनाई गई थी और उसमें यह आभास हुआ कि शायद इसमे कुछ डिसक्रिमिनेशन हो सकता है या टैक्स इवेजन की सम्भावना भी हो सकती है और इस लिये इस योजना को समाप्त कर दिया गया । जहा तक सेलिएट फीचर्स का सम्बन्ध है यह योजना इन ल्यू आफ बोनस थी ।

SHRI S. M. BANERJEE: Was there any agreement recently with the association regarding payment of bonus and gratuity? What are the salient features of that agreement? I want to know whether in future also the General Insurance Corporation will deal with employees' representatives to arrive at an agreement regarding bonus and gratuity.

MR. SPEAKER: Mr. Banerjee, your read goes to the same place!

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इसका इस सवाल से सम्बन्ध नहीं है। पर मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकारी चीज पर अच्छी तरह से विचार हो रहा है और अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

बैंकों द्वारा किसानों को यंत्र खरीदने के लिये दिये गये ऋण

*271. **श्री मुल्की राज सैनी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यंत्र खरीदने के लिये बैंकों से किसानों को ऋण दिये जाते हैं ; और

(ख) वर्ष 1973-74 में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि के ऋण दिये गये ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b). A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b). The present system of statistical reporting does not provide for separate information relating to advances of commercial banks for agricultural implements as much. The two related categories in respect of which information is maintained are (1) Tractors and agricultural implements and machinery and (2) Pump sets and oil engines. The outstanding advances of scheduled commercial banks for these two specified categories were Rs. 6084.70 lakhs and Rs. 5063.50 lakhs respectively as at the end of September 1973.

श्री मुल्की राज सैनी : कृषि यंत्रों के लिये जो कर्जे दिये जाते हैं उनके बारे में यह प्रश्न है। आजकल इनके लिये जो चैक है वह एप्रूव्ड फर्म्ज के नाम काटा जाता है और इसमें किसान को बड़ा घाटा होता है क्योंकि खुले बाजार के जो भाव होते हैं और जिस फर्म के नाम चैक काटा जाता है उसके जो भाव होते हैं उन दोनों भावों में बीच पच्चीस परसेंट का अन्तर होता है। फर्म वाले, बैंक कर्मचारी और अधिकारी फार्म भरने के मामले में पैसा खरा करते हैं। क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि यह अन्तर खत्म हो और किसान को एक भाव पर, बंधे भाव पर कृषि यंत्र मिलें ? इसके बारे में क्या सरकार के पास कोई योजना है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : ऐसी किसी विशेष योजना की और अगर माननीय सदस्य हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे तो उस पर हम अवश्य विचार करेंगे।

बीच में कुछ ऐसी शिकायतें आयी थीं और शुरू शुरू में बैंकों ने कुछ दिनों के लिये ऐसा उपाय किया भी था कि किसान को डायरेक्ट लोनिंग किया जाये लेकिन पता चला कि दुर्पियोग हुआ या दाम बढ़ा कर लिये गये। डीलर को न देकर किसान को रुपया देकर देख लिया गया है।

श्री मुल्की राज सैनी : क्या आपने ऐसी व्यवस्था की है कि किसान को सीधे ऋण मिलें और वह अपनी पसन्द की फर्म से माल खरीद सके ? एप्रूव्ड फर्म जो आप कहते हैं उसका आपने आधार क्या बनाया हुआ है ? एप्रूव्ड फर्म बनने के लिये क्या बहुत ज्यादा घोटाला या चोरी नहीं होती है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जहां तक पहले पार्ट का सम्बन्ध है सीधे अगर किसान को दिया जाय तो कई माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया था और इस पर विचार किया गया था और यह पाया गया कि अक्सर किसानों को सीधे जब लोन दे दिया जाता है तो कभी कभी एंड यूज के लिये उसका इस्तेमाल वे नहीं करते हैं तथा और किसी कार्य में वह खर्च हो जाता है और उससे प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद नहीं